झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–669/2019– 27/21-22 पो०नि० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी०) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रू० 2923.37 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी०) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रू० 2923.37 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. काँची सिंचाई योजना के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 18.29 के बाद यह नहर बाराण्डा शाखा नहर (लम्बाई 28.29 कि०मी०) के रूप में जाना जाता है। बाराण्डा शाखा नहर के चेन सं० 260 (7.925 कि०मी०) से आद्राडीह शाखा नहर निकलती है।

4. बाराण्डा शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी० में नहर का जलश्राव 380 क्यूसेक है, जिसका पक्कीकरण का कार्य नहीं हुआ है तथा इसके शाखा नहरों/वितरणियों से रूपांकित क्षमता के अनुसार सिंचाई उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है । इसके कि०मी० 7.93 से अंतिम छोर कि०मी० 28.29 तक जलश्राव 150 क्यूसेक से कम है, जिसका पक्कीकरण सहित पुनर्स्थापन का कार्य CADWM के अन्तर्गत पूर्ण हो गया है।

5. नहर के अंतिम छोर तक नहर की क्षमता के अनुरूप जलश्राव उपलब्ध कराने हेतु बाराण्डा शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी० तक नहर को सेक्शन में लाने के लिए आवश्यक मिट्टी कार्य तथा नहर के आंतरिक सेक्सन में कंक्रीट लाईनिंग कार्य कराया जाएगा। नहर के इस भाग में संरचनाओं का मरम्मति कर इनके पुनरूद्धार का भी प्रावधान है।

6. बाराण्डा शाखा नहर का प्रथम रीच 0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी० का लाईनिंग कार्य हेतु नक्सा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा अनुमोदित है। इस कार्य के पूरा हो जाने से इस योजना के शाखा नहर के अंतिम छोर तक क्षमतानुसार पानी जा सकेगा और इसके वितरण प्रणाली से रूपांकित क्षमता के अनुसार सिंचाई दिया जा सकेगा।

7. काँची वीयर योजना की रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 17,800 हे० है। बराण्डा शाखा नहर, जिसकी रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 5839 हे० है, से वर्ष 2020–21 में खरीफ सिंचाई उपलब्धि 5174 हे० हुई।

नहर के इस खण्ड (कि०मी० 0.00 से 7.93 कि०मी०) का लाईनिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खरीफ सिंचाई उपलब्धि 5839 हे० हो सकेगी।

इस प्रकार 665 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगी।

8. नहर के पुनरूद्धार कार्य एवं लाईनिंग कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रू० 2923.37 लाखें के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा प्रदान की गयी है। कराये जाने वाले कार्यों की अवयववार विवरणी निम्नवत् है–

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	**D-Regulator**	
(i)	Repairing of Outlet fully damaged 6 nos. (Km. 6.10, 6.21, 6.52, 6.61, 6.68, 6.85) 150MM Dia at in Baranda Branch Canal	336500.00
(ii)	Repairing of damaged outlet 150MM Dia (6 Nos. at km. 2.68, 3.08, 5.09, 5.73, 6.98, 7.32) and VC Outlet 450 mm dia (1 No. at km. 4.91) in Baranda Branch Canal	186850.00
(iii)	Repairing of VC Outlet two row 300 mm dia at km. 7.01 in Baranda Branch Canal	137770.00
(iv)	Repairing of VC Outlet 300mm dia at km. 8.14 Baranda Branch Canal	79250.00
(v)	Repairing of CD 900mm dia at km. 1.10, 1.91 and 4.02 in Baranda Branch Canal	234360.00
(vi)	Repairing of Fall U/S & D/S side at km. 6.86 in Baranda Branch Canal	126170.00
2.	**G-Repair of Bridge**	
(i)	Repairing of Bridge at km. 0 & 8.23 of Baranda Branch Canal	285760.00
3.	**L-Earth Works**	
(i)	Earth work	1,99,62,573.80
(ii)	Lining work (100mm P.C.C. 1:2:4) in Baranda Branch Canal (0.00 km to 7.93 km)	23,58,08,287.84
	Sub Total (L- Earth Works) :-	**255771000.00**
	Total :-	**257157660.00**
	Add : GST - 12%	30858919.20
	Total :-	**288016579.20**
	Add : Labour Cess - 1%	2880165.79
	Add : Contingencies - 0.50%	1440082.90
	Grand Total :-	**292336827.89**
	Say :-	**Rs. 2923.37 lakh**

9. इस कार्य का प्राक्कलन 01 जुलाई 2021 से लागू अनुसूचित दर पर आधारित है।

10. इस योजना का कार्यान्वयन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

11. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ कर 18 महीने में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

12. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-54-00-05-45)

13. वर्ष 2021–22 के लिये बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

i) शीर्ष 49S47018079654000545 में रू० 8675.00 लाख

14. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे कार्यपालक अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

15. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

21. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2022 के मद सं०–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

23. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

25/01/22

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–669/2019– 27/21-22 प्र०नि० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–669/2019– 27/21-22 प्र०नि० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची (कचहरी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–669/2019– 27/21-22 प्र०नि० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—669/2019— 27/21-22 प्र०के० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रतिलिपि :— आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—669/2019— 27/21-22 प्र०के० /राँची, दिनांक 25-01-2022

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले राज्यादेश के सम्बन्ध में जाँच पत्र

1.	विभाग का नाम	:	जल संसाधन विभाग
2.	संचिका संख्या	:	**2/पी०एम०सी०/कार्य–669/2019**
3.	प्रस्ताव	:	**काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी०) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रू० 2923.37 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**
4.	प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश द्वारा राजपत्रित पद का सृजन अथवा अवधि विस्तार किया गया अथवा नहीं यदि हाँ तो क्या दो प्रतियों में भेजी जा रही है।	:	नहीं
5.	प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई या नहीं	:	वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
6.	वित्त विभाग में प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	:	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की अधिसूचना सं०–301 दिनांक 11.03.2015 एवं पत्रांक–471 दिनांक 12.04.2021 के आलोक में वित्त विभाग से दिनांक 15.12.2021 को स्वीकृत।
7.	महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले पत्र की संख्या एवं तिथि	:	

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 तक में दिये गये विवरण ठीक है एवं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश इसके पूर्व संसूचित करने हेतु वित्त विभाग को नहीं भेजा गया है।

25.01.22

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग

नोट :– उपसचिव के स्तर के पदाधिकारी से नीचे स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।